(18)

संख्या–846 /XXVIII–5–2011–07घो0/2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 16 जून 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालसी हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1718/XXVIII–5–2010–07घो0 / 2009 दि0 27.09.2010 एवं आपके पत्रांक–7प / 1 / 8 / 2010 / 17539 दि0 08.06.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालसी के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित लागत ₹290.71 लाख के सापेक्ष अब तक अवमुक्त धनराशि ₹ 10.00 लाख के अतिरिक्त कार्य को अनवरत बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹ 75.00 लाख (₹ पिचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चकराता, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण इकाई द्वारा स्वीकृति धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा एवं कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। किसी भी विलम्ब की दशा में योजना का पुनरीक्षित आगणन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित योजना में मूल स्वीकृति समयसीमा लागत, लक्षित परिणामों के अनुरूप प्रगति हो रही हो । धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर योजना के सम्बन्ध में सघन मूल्यांकन / परीक्षण किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय मूल शासनादेश में उल्लिखित शर्तों तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनाक 31.03.2011 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का आहरण / व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य कर लिया जायेगा।

6. धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

.....2

7. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

9. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 0302–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (विस्तार अंश) 24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

10. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनाक 31.03.2011 में उल्लिखित दिशा–निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या–846(1)/xxviii–5–2011–07घो0/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चकराता ।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
11. गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव